



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक

02.09.2022

थाना बडौत पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त गौरव पुत्र बाबू उर्फ बाबूराम के ग्राम खेडा हटाना में बने रिहायसी मकान कीमत लगभग 13.66 लाख रुपये की सम्पत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कुर्क किया गया।

कार्यवाही-

आज दिनांक 02.09.2022 को थाना बडौत पुलिस द्वारा थाना बडौत पर पंजीकृत मु0अ0सं0 323/21 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए अभियुक्त गौरव पुत्र बाबू उर्फ बाबूराम निवासी ग्राम खेडा हटाना थाना बडौत जनपद बागपत की ग्राम खेडा हटाना में स्थित रिहायसी भूमि 132.64 वर्ग मीटर पर बने मकान जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 13.66 लाख रुपये है को कुर्क/जब्त कर श्रीमान क्षेत्राधिकारी बडौत को सम्पत्ति का प्रशासक नियुक्त किया गया। अभियुक्त गौरव शातिर प्रवृत्ति का अपराधी है, इसके विरुद्ध चोरी, गैंगस्टर एक्ट आदि के करीब 08 अभियोग दर्ज है।



अभियुक्त गौरव का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 974/20 धारा 307 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
2. मु0अ0स0 1093/20 धारा 379/411 भादवि थाना बडौतजनपद बागपत ।
3. मु0अ0स0 230/20 धारा 379/411 भादवि थाना बडौतजनपद बागपत ।
4. मु0अ0स0 11/2021 धारा 379/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
5. मु0अ0स0 60/2021 धारा 379/411 भादवि थाना बडौतजनपद बागपत ।
6. मु0अ0स0 61/2021 धारा 379/411 भादवि थाना बडौतजनपद बागपत ।
7. मु0अ0स0 82/2021 धारा 379/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
8. मु0अ0स0 323/2021 धारा 2/3 गैंग्रस्टर अधि0 थाना बडौत बागपत ।



प्रेस नोट

दिनांक 02.09.2022

पीआरवी कर्मियों ने आग को बुझा ,बचाई बुजुर्ग की जान -

संक्षिप्त विवरण-

पीआरवी 2975 दिनांक 01/09/2022 को समय 22:00 बजे थाना दोघट अंतर्गत क़स्बा टीकरी में पीआरवी एक इवेंट पर गयी हुयी थी, तभी पीआरवी के पास एक व्यक्ति ने आकर बताया कि पास के एक घर में आग लग गयी हैं, घर के अन्दर एक वृद्ध महिला है । पीआरवी कर्मियों ने त्वरित कार्यवाही करते हुए मौके पर पहुँचकर देखा तो एक घर के अन्दर एलपीजी गैस सिलेंडर से आग लगी हुयी थी घर के अन्दर एक वृद्ध महिला फंसी हुयी थी, जो घर में अकेली रहती थी । पीआरवी कर्मियों ने त्वरित कार्यवाही करते हुए महिला को सकुशल बाहर निकालकर गैस सिलेंडर को निष्क्रिय किया गया ।

पीआरवी 2975 के पुलिस कर्मियों द्वारा किए गए सराहनीय कार्य की क़स्बा वासियों द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गई ।



प्रेस नोट
थाना खेकडा

दिनांक 02.09.2022

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 368/22 धारा 506/354डी भादवि व 67ए आईटी एक्ट में वांछित अभियुक्त रहीस को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 31.08.2022 को थाना खेकडा पर वादी श्री राजेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी पट्टी गिरधरपुर करबा व थाना खेकडा जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त रहीस पुत्र अजीज ने उसे व उसके परिवार को सर धड से जुदा करने की धमकी दी एवं उसकी बेटी के अश्लील फोटो, विडियो सोशल



मीडिया पर डालने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 368/22 धारा 506 भादवि व 67ए आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया ।

उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान धारा 354डी भादवि की वृद्धि की गई ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 368/22 धारा 506/354डी भादवि व 67ए आईटी एक्ट में वांछित अभियुक्त रहीस को गिरफ्तार किया गया है ।

पीडिता के बयान, अभियुक्त के मोबाइल में पाये गये फोटो तथा अन्य तथ्यों के आधार पर अभियुक्त रहीस को गिरफ्तार किया गया तथा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- 1- रहीस पुत्र अजीज निवासी मौलाना आजाद कालोनी बेहटा हाजीपुर थाना लोनी जनपद गाजियाबाद ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0स0 218/22 धारा 366 भादवि थाना खेकड़ा जनपद बागपत
- 2-मु0अ0सं0 368/22 धारा 506 भादवि व 67ए आईटी एक्ट थाना खेकड़ा जनपद बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.निरीक्षक अपराध श्री राजकुमार थाना खेकड़ा ।
- 2.का0 301 मुलायम सिंह ।
3. का0 335 राकेश कुमार ।



प्रेस नोट
थाना दोघट

दिनांक 02.09.2022

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0स0 189/22 धारा
147/148/149/307/302/396/412/201 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया
गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26/07/2022 को वादी श्री अजेन्द्र उर्फ भारत पुत्र राजपाल निवासी ग्राम मौजिजाबाद नांगल थाना दोघट जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त 1.अंकित 2.निकित पुत्रगण नेत्रपाल 3.प्रदीप 4.अनुज पुत्रगण कल्याण 5.विकास उर्फ रूडा पुत्र सुनील 6.कल्याण पुत्र जिले सिंह 7.नेत्रपाल पुत्र भीमसिंह



निवासीगण मौजिजाबाद नांगल थाना दोघट व 02 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसके भाई शुभम उर्फ मृगेन्द्र व उसके साथ जान से मारने की नीयत से सरिया व लाठी से मारपीट की व तमंचो से फायर कर उसके भाई शुभम की हत्या कर दी । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 189/22 धारा 147/148/149/307/302 भादवि पंजीकृत किया गया । उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान धारा 396/412/201 की बढौत्तरी की गई है ।

नोट- उपरोक्त अभियोग मे विवेचना के दौरान धारा 396/412/201 भादवि की बढौत्तरी की गयी ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 189/22 धारा 147/148/149/307/302/396/412/201 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट:- उपरोक्त अभियोग में थाना दोघट पुलिस द्वारा पूर्व में 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-कल्याण पुत्र जिले सिंह निवासी ग्राम मौजिजाबाद/भगवानपुर नागल थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्र0नि0 जनक सिंह चौहान ।

2- का0 857 सुरेन्द्र सिंह ।

3- हो.गा. 492 जब्बार सिंह ।



प्रेस नोट
थाना दोघट

दिनांक 02.09.2022

थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिंदा कारतूस बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान मे आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-दीपक पुत्र तेजपाल निवासी पट्टी मादान कस्बा व थाना दोघट जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिंदा कारतूस ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-निरीक्षक अपराध श्री शैलेन्द्र मुरारी दीक्षित थाना दोघट ।
- 2-व०उ०नि० श्री नन्द किशोर ।
- 3-का० 857 सुरेन्द्र सिंह ।



प्रेस नोट

थाना खेकड़ा

दिनांक 02.09.2022

थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. मनोज पुत्र जयपाल निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
2. सुभाष पुत्र जयपाल निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री दिनेश कुमार ।
- 2-है0का0 284 श्योराज सिंह ।



प्रेस नोट
थाना रमाला

दिनांक 02.09.2022

थाना रमाला पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

1- धीरज पुत्र कर्मा निवासी सूप थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अमरदीप सिंह थाना रमाला ।

2- का0 621 प्रदीप कुमार थाना रमाला ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर दिनांक 02.09.2022

हत्या करने वाले आरोपियों राहुल उर्फ माटू व रोहित उर्फ सीटू को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ आजीवन सश्रम कारावास व 26500 रुपये अर्थदण्ड की सजा ।

कार्यवाही –

अवगत कराना है कि अभियुक्त राहुल उर्फ माटू पुत्र गगनगिरि व रोहित उर्फ सीटू पुत्र गगनगिरि निवासी गण ग्राम रामनगर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत द्वारा वर्ष-2016 में हत्या की घटना कारित की गयी थी । जिसके सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0- 360/2016 धारा 302/201/404/34 भादवि पंजीकृत हुआ था । इस अभियोग में मॉनिसरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई । जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 02.09.2022 को मा0 न्यायालय तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बागपत द्वारा अभियुक्त राहुल उर्फ माटू व रोहित उर्फ सीटू को दोषी पाते हुए प्रत्येक को आजीवन सश्रम कारावास व 26500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

दोषसिद्ध अपराधी का नाम व पता-

- 1- राहुल उर्फ माटू पुत्र गगनगिरि निवासी रामनगर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2- रोहित उर्फ सीटू पुत्र गगनगिरि निवासी रामनगर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना सिंघावली अहीर दिनांक 02.09.2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-नाजिम पुत्र करीमुदीन निवासी ग्राम बिलौचपुरा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-राशिद पुत्र करीमुदीन निवासी ग्राम बिलौचपुरा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 3-रोबिन पुत्र विजय पाल निवासी ग्राम महेशपुर चौपडा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह चौहान ।
2. का0 357 अनुज कुमार ।
3. का0 848 कुलदीप कुमार ।
4. का0 48 आकाश ।
5. का0 1055 सुचेन्द्र ।



प्रेस नोट

थाना खेकडा

दिनांक 02.09.2022

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 375/2022 धारा 452/354/504 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 375/22



धारा 452/354/504 भादवि में वांछित दो नफर अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. मोनू उर्फ मुण्डी पुत्र धर्मपाल निवासी बाग वाली गली करबा व थाना खेकडा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री विकुल कुमार

2. है0का0 292 सिराज खान

3. का0 774 धर्मेन्द्र सिंह